तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर./2860/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम धूला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित :

श्री तेजेन्द्र सिंह, उप राजकीय अभिभाषक।
विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं, एकपक्षीय कार्यवाही।

--

आदेश

दिनांकः–26.08.2025

1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर डूंगरपुर ने अपने आदेश दिनांक 15–02–2006 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

2. रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार सीमलवाडा ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा गोरादा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1582 व 1595 रकबा क्रमशः 8 बिस्वा व 10 बिस्वा किस्म रा0 II गत सेटलमेण्ट (भू–प्रबंध) सम्वत् 2008 में खसरा नम्बर 899 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म नदी बिलानाम अंकित थी। जिसका फर्द तुल्नात्मक संलग्न करते हुए उक्त गत आराजी खसरा नम्बर 899 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म नदी में से रकबा कुल 2 बिस्वा हाल आराजी खसरा नम्बर 1582 व 1595 में रकबा कुल 2 बिस्वा भूमि भू प्रबंध के दौरान सम्वत् 2014 में अप्रार्थी धुला, उदा, भंवर गटू, पिता लेम्बा, सनू बेवा लेम्बा मीणा निवासी गोरादा के खातेदारी में दर्ज हो गयी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते है। अतः रेफरेन्स स्वीकर फरमाया जाकर प्रश्नगत आराजी की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर./2860/2006/डूंगरपुर</u>** **सरकार बनाम धूला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3. न्यायालय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर डूंगरपुर ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 15–02–2006 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अभिषंशा हेतु प्रेषित किया है। 4. उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। 5. हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। 6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते हैं प्रश्नगत आराजी का हस्तान्तरण/आवंटन अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। यह कि डी0बी सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15–08–1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 नदी राजकीय दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। 7. हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ नकल खतौनी सम्वत् 1999–2008 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा संख्या 899 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर./2860/2006/डूंगरपुर</u>** **सरकार बनाम धूला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किस्म वेला दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त विभाग संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 899 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि के हाल खसरा नम्बर 1513, 1516, 1520, 1521, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1590, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597 एवं 1602 कायम हुए हैं। नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है। इसके अलावा नकल जमाबंदी सम्वत् 2061–64 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोरादा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1582 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1595 रकबा 10 बिस्वा भूमि धूला, उदा, भंवर, गटू पिता लेम्बा के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल खतौनी बंदोबस्त भू प्रबंध विभाग सम्वत् 2019 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1582 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1895 रकबा 10 बिस्वा भूमि कचरा पि0 लालू के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में गै0मु0 नदी/वेला भूमि थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की गयी। 8– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 तालाब/तलाई/नाला/नदी''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– "4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर./2860/2006/डूंगरपुर</u>** **सरकार बनाम धूला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; 10. प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0 नदी/वेला** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर./2860/2006/डूंगरपुर</u>** **सरकार बनाम धूला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। 12– परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर मौजा गोरादा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1582 व 1595 रकबा क्रमशः 1 व 1 बिस्वा कुल 2 बिस्वा भूमि को पुनः पूर्वानुसार किस्म नदी/वेला दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। 13– इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	